

**SOUTH CENTRAL RAILWAY**  
**SC DIVISION – ALERT ADVICE No. 11/2025**

**No.sfy-12/SC/AA-11/2025**

**Date: 17.07.2025**

Sub: Securing of stabled rolling stock and Precautions

In recent past at BPSH siding of Barharwa station of MLDT Divn /Eastern Railway, 21 BOBYN loaded wagons roll down and collided with other BOBYN loaded wagons at 15.40 hrs on 02.07.25 due to improper securing of loads resulting all wagons derailed and capsized. In view of the incidents being happened due to non securing of loads as laid down procedure, the following instructions are once again reiterated for staff guidance and strict observance of stipulated rules for smooth and safe running of trains. The Station Master shall see that vehicles standing at the station are properly secured as per GR 5.23 and detailed procedure as given vide SR 5.23.

1. The vehicles/load/train shall be inside the fouling marks.
2. The vehicles/load/train be chained and padlocked using at least two chains, one at either end. The padlock keys of the Safety Chains shall be in the personal custody of the Station Master on duty.
3. At least four wooden wedges/iron skids be used, two each below the outermost pair of wheels at either end of the stabled load.
4. Hand brakes of at least 6 wagons from either end must be fully tightened. If hand brakes of any of the first six wagons at each end cannot be applied, hand brakes of subsequent wagons should be applied till six wagons in total are achieved. In case coaching vehicles are stabled, Guard's hand brakes in SLR(s) must be applied. The hand brakes must be operated under the personal supervision of the Guard, and in the absence of Guard, by SM/ASM on duty.
5. The vehicles of stabled load/train should be coupled together. In case the stabled load has to be split for any reason, each such split part should be treated as a separate load for the purpose of securing.
6. The points must be set, clamped and padlocked against the blocked line and towards dead end or trap point (if available). Scotch blocks must be used, if available. The padlock keys shall be in the personal custody of the Station Master on duty.
7. Line Block Collars must be placed on relevant signal/ point buttons/slides/levers etc,
8. Remarks should be made in TSR and SM diary in Red ink to the effect that 'Line No.\_\_\_\_ is blocked and all precautions for securing the load have been taken' as prescribed above.
9. After any load/train/loco is stabled, the station master must inform the section controller supported by private number that all laid down precautions for stabling and securing the load/train/loco have been taken.
10. Additional precautions to be taken while stabling vehicles/load/train at a station with gradient steeper than 1 in 400 may have been prescribed under approved special instructions (by CRS) and mentioned in SWR of respective station. These should be followed scrupulously as per SR 5.23.2. In addition, following precautions must also be observed over and above those prescribed under approved special instructions.
  - Before vehicles are uncoupled, the hand brakes should be applied, wooden wedges/iron skids, should also be used to prevent vehicles from rolling down.

- As far as possible, the vehicles/load/train should be stabled on a line which is isolated from other lines, particularly running lines.
- a) The following action by Loco Pilot/Assistant Loco Pilot to be taken as per S.R. 5.23.3 before leaving the loco in case load/train is stabled with locomotive attached or light engine(s) is/are shut down or stabled.
1. Application of both SA-9 and A-9 brakes;
  2. Application of hand brake and parking brake;
  3. Secure the loco with wooden wedges/iron skids provided on the loco;
- b). Loco Pilot while on duty should not leave loco unmanned. In case he is required to leave the locomotive unmanned, he should do so only after receiving written authority from the Station Master/Yard Master and ensuring items 1 to 3 above.
- c). Before leaving the Station/Yard, the Loco Pilot and Guard should jointly sign record in the stabled train register to be maintained with Station Master that the load & loco has been secured as prescribed above. If the Loco is not stabled with the formation only guard has to sign in the stabled load register (S.R. 5.23.4.2.)
- d). Besides the above precautions, additional precautions as and when required as per safety circulars/special instructions/JPOs issued time to time to be followed to avoid rolling down of vehicles due to non-securing of loads properly as per above laid down norms.

The above laid down Instructions may be given wide publicity and counsel the Staff accordingly.



[ [ए. सुरेश]

वरि. मंसंधि/सिकं

[A. Suresh]

Sr. DSO/SC

Copy:DRM/SC for kind information.

ADRM/O and ADRM/I for kind information.

All Branch Officers for information and necessary action.

All Field Supervisors for information and necessary action.



दक्षिण मध्य रेलवे  
सिकंदराबाद मंडल – चेतावनी सूचना सं. 11/2025

सं.एसएफवाई-12/एससी/एए-11/2025

दिनांक: 17.07.2025

**विषय: खड़े रोलिंग स्टॉक की सुरक्षा और पूर्वोपाय.**

हाल ही में मालदा टाउन मंडल/पूर्व रेलवे के बरहुरवा स्टेशन के बीपीएसएच साइडिंग में, 02.07.25 को 15.40 बजे 21 बीओबीवाईएन लोडेड वैगन लुढ़क गए और अन्य बीओबीवाईएन लोडेड वैगनों से टकरा गए, क्योंकि लोड को ठीक से सुरक्षित नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप सभी वैगन पटरी से उतर गए और पलट गए. निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लोड सुरक्षित न रखने के कारण होने वाली घटनाओं को देखते हुए, कर्मचारियों के मार्गदर्शन और गाड़ियों के सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन करने के लिए निम्नलिखित निर्देशों को एक बार फिर दोहराया जाता है. स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि स्टेशन पर खड़े वाहन सा.नि. 5.23 तथा स.नि. 5.23 में दी गई विस्तृत कार्यविधि के अनुसार उचित रूप से सुरक्षित है.

1. वाहन/लोड/गाड़ी उल्लंघन चिह्नों के अंदर होंगे.
2. वाहन/लोड/गाड़ी को कम से कम दो जंजीरों से, एक-एक, दोनों सिरों पर, जंजीरों और ताले से बाँधा जाएगा. सुरक्षा जंजीरों की ताले की चाबियाँ ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर की निजी अभिरक्षा में रहेंगी.
3. खड़े लोड के दोनों सिरों पर पहियों की सबसे बाहरी जोड़ी के नीचे दो-दो, इस प्रकार कम से कम चार लकड़ी के वेज/लोहे के स्किड्स का उपयोग किया जाना चाहिए,
4. दोनों ओर से कम से कम 6 वैगनों के हैंड ब्रेक पूरी तरह से कसे होने चाहिए. यदि प्रत्येक छोर पर पहले छह वैगनों में से किसी के भी हैंड ब्रेक नहीं लगाए जा सकते, तो बाद के वैगनों के हैंड ब्रेक तब तक लगाए जाने चाहिए जब तक कि कुल छह वैगन न हो जाएँ. यदि कोचिंग वाहन स्थिर हैं, तो एसएलआर में गार्ड के हैंड ब्रेक लगाए जाने चाहिए. हैंड ब्रेक गार्ड की व्यक्तिगत निगरानी में और गार्ड की अनुपस्थिति में, ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर द्वारा परिचालित किए जाने चाहिए.
5. खड़े लोड/गाड़ी के वाहनों को एक साथ युग्मित किया जाना चाहिए. यदि किसी कारण से खड़े लोड को विभाजित करना पड़े, तो ऐसे प्रत्येक विभाजित भाग को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से एक अलग लोड के रूप में माना जाना चाहिए.
6. पाइंटों को अवरुद्ध लाइन के सामने और डेड एंड या ट्रेप पाइंट की ओर (यदि उपलब्ध हो) सेट, क्लैप और पैडलॉक किया जाए. यदि उपलब्ध हो तो स्कांच ब्लॉक का उपयोग किया जाना चाहिए. पैडलॉक की चाबियाँ ड्यूटी पर मौजूद स्टेशन मास्टर की निजी अभिरक्षा में रहेंगी.
7. संबंधित सिगनल / पाइंट बटनों/स्लाइड/लीवर आदि पर लाइन ब्लॉक कॉलरों का उपयोग किया जाए.
8. टीएसआर और स्टेशन मास्टर की डायरी में लाल स्याही से यह टिप्पणी की जानी चाहिए कि 'लाइन संख्या \_\_\_\_\_ अवरुद्ध है और लोड को सुरक्षित रखने के लिए सभी सावधानियां बरती गई हैं' जैसा कि ऊपर बताया गया है.
9. अनुमोदित विशेष अनुदेश (रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा) के अंतर्गत निर्धारित और संबंधित स्टेशन के स्टेशन संचालन नियम में उल्लिखित किए गए अनुसार 400 में से 1 से अधिक स्टीपर ग्रेडिएंट के साथ स्टेशन पर खड़े वाहनों/लोड/गाड़ी को खड़ा करते समय अतिरिक्त सावधानियां बरती जाएं. स.नि. 5.23.2 के अनुसार इनका कड़ाई से अनुपालन किया जाए. इसके अतिरिक्त, अनुमोदित विशेष अनुदेशों के अंतर्गत निर्धारित सावधानियों के अतिरिक्त निम्नलिखित सावधानियां भी बरतनी होंगी.
  - वाहनों को वियुग्मित करने से पहले, हथ ब्रेक लगाए जाएं, बुडन वेज/आयरन स्किड का भी उपयोग रोलिंग डाउन से वाहनों को सुरक्षित करने के लिए किया जाना चाहिए.
  - जहां तक संभव हो, वाहनों/लोड/गाड़ी को ऐसी लाइन पर खड़ा किया जाना चाहिए जो अन्य लाइनों, विशेष रूप से रनिंग लाइनों से अलग हो.

a) यदि लोड/गाड़ी खड़ी है तथा लोकोमोटिव जुड़ा हुआ है या लाइट इंजन बंद है या खड़ा है तो लोको पायलट/सहायक लोको पायलट द्वारा स.नि. 5.23.3 के अनुसार लोको को छोड़ने से पहले निम्नलिखित कार्रवाई की जानी चाहिए.


1. एसए-9 और ए-9 ब्रेक दोनों लगाना;
2. हथ ब्रेक और पार्किंग ब्रेक लगाना;
3. लोको पर उपलब्ध बुडन वेज/आयरन स्किड के साथ लोको की सुरक्षा करना;

b). ड्यूटी पर रहते हुए लोको पायलट को लोको को मानवरहित नहीं छोड़ना चाहिए. यदि उसे लोकोमोटिव को मानवरहित छोड़ना पड़े, तो उसे स्टेशन मास्टर/यार्ड मास्टर से लिखित अनुमति प्राप्त करने और उपरोक्त मद संख्या 1 से 3 का पालन सुनिश्चित करने के बाद ही ऐसा करना चाहिए.

c). स्टेशन/यार्ड छोड़ने से पहले, लोको पायलट और गार्ड को स्टेशन मास्टर के साथ बनाए जाने वाले स्टेबल ट्रेन रजिस्टर में संयुक्त रूप से हस्ताक्षर करके यह रिकॉर्ड बनाना होगा कि लोड और लोको को ऊपर बताए अनुसार सुरक्षित कर लिया गया है. यदि लोको को फॉर्मेशन के साथ स्टेबल नहीं किया गया है, तो केवल गार्ड को स्टेबल लोड रजिस्टर में हस्ताक्षर करने होंगे (स.नि. 5.23.4.2.)

d). उपरोक्त सावधानियों के अतिरिक्त, समय-समय पर जारी सुरक्षा परिपत्रों/विशेष अनुदेशों/जेपीओ के अनुसार आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सावधानियाँ भी बरतनी होंगी, ताकि उपरोक्त निर्धारित मानदंडों के अनुसार लोड को ठीक से सुरक्षित न रखने के कारण वाहनों के पलटने से बचा जा सके.

उपर्युक्त अनुदेशों का व्यापक प्रचार किया जाए तथा कर्मचारियों को तदनुसार परामर्श दिया जाए.

  
(ए. सुरेश)

वरि. मंसंधि/सिकंदराबाद

प्रतिलिपि: मरेप्र/सिकंदराबाद को सूचनार्थ.

अमरेप्र/प्रचा और अमरेप्र/इन्फ्रा को सूचनार्थ.

सभी शाखा अधिकारियों को सूचना व आवश्यक कार्रवाई के लिए.

सभी फील्ड पर्यवेक्षकों को सूचना व आवश्यक कार्रवाई के लिए.